राजस्थान सरकार
कार्यालय उप निदेशक कृषि(विस्तार) जि.प.बॉसवाडा (राज0)

क्रमांकः– लेखा/ निविदा/2017–18/ 341–44 दिनांकः– 13/6/17

–: निविदा सूचनाः–

इस कार्यालय एवं परियोजना निदेशक आत्मा द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रस्तावित कृषक भ्रमण कार्यक्रमों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए बसों की व्यवस्था , एवं प्रशिक्षणों अन्तर्गत भोजन व्यवस्था हेतु , बस संचालकों/ ट्रैवल एजेन्सियों/ रसोईयों तथा यात्रा व्यवस्था कार्य करने वालों से मोहर बन्द निविदाएं आमन्त्रित की जाती हैं। निर्धारित निविदा प्रपत्र, निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि के बिना निविदाएं स्वीकार्य नहीं होगीं ।

क्र. सं.	नाम कार्य	अनुमानित लागत (लाख रु.में)	निविदा प्रपत्र विक्रय		निविदा शुल्क (रु.)	धरोहर राशि (रु.)	निविदा प्रस्तुति का		निविदा खोलने का	
			दिनांक तक	समय तक सायः			दिनांक	समय दोपहर	दिनांक	समय दोपहर
1	बस व्यवस्था	8.0	27.06.2017	प्रातः 9.30 से सायः 6.00 तक	400	16000	28.06.2017	1.30 तक	28.06.2017	2.30
2	भोजन व्यवस्था	5.0			200	10000	28.06.2017	1.30 त्क	28.06.2017	3.30

नोट :–

1– निविदा को स्वीकार/अस्वीकार/रद्द करने का पूर्ण अधिकारी , अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित है।

2– उपरोक्त बिन्दुवार कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति/फर्म/निविदा शुल्क कार्यालय जमा करवाकर या उक्त राशि का डी डी , उप निदेशक कृषि "विस्तार" जिला परिषद, बॉसवाडा के नाम से देय हो ,प्रस्तुत कर निविदा फार्म प्राप्त कर सकते है। निविदा की विस्तृत शर्ते http://sppp.rajasthan.gov.in **व विभागीय वेबसाईट** www.krishi.rajasthan.gov.in पर देखी अथवा डाउनलोड की जा सकती है। डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ निविदा शुल्क की राशि का बैकंर चेक/डी डी निविदा के साथ पृथक से जमा करवाना आवश्यक होगा। अमानत राशि डी डी द्वारा स्वीकार की जावेगी।

(रमेश कुमार जारोली)
उप निदेशक कृषि(विस्तार)
जिला परिषद बॉसवाडा

क्रमांकः– लेखा/ निविदा/2017–18 /341–44 दिनांकः– 13/6/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू :–

1 श्रीमान वित्तीय सलाहकार ,कृषि आयुक्तालय राज. जयपुर।
2 श्रीमान सयुंक्त निदेशक कृषि "विस्तार" खण्ड उदयपुर।
3 श्री एनालिस्ट कम प्रोग्रमर , कृषि आयुक्ताल जयपुर को भेजकर निवेदन है कि विभागीय वेबसाईट पर उक्त निविदा अपलोड करावे।
4 .सम्पादक महोदय दैनिक भास्कर, /राजस्थान पत्रिका, बॉसवाडा को , डी पी आर दर 8 X 10 से मी साईज में विज्ञापन प्रकाशनार्थ।
5 नोटिस बोर्ड जिला परिषद बॉसवाडा/कार्यालय हाजा ।
6 लेखाशाखा/भण्डार पाल कार्यालय हाजा।

(रमेश कुमार जारोली)
उप निदेशक कृषि(विस्तार)
जिला परिषद बॉसवाडा

341-44
13/06/17

प्रपत्र कंमाक

कार्यालय उप निदेशक कृषि(विस्तार)जिला परिषद, (राज0)

–: निविदा प्रपत्र :–

कृषकों के प्रशैक्षणिक भ्रमण कार्यकम हेतु भोजन व्यवस्था वर्ष 2017–18

1.निविदा प्रपत्र कमांक :...

2.निविदा सूचना : कमाक / लेखा / 2016–17 / .... दिनांक ....

3.निविदादाता फर्म का नाम :...

4.फर्म का पूर्ण पता :...

5.दूरभाष नम्बर :बेसिक ....मोबाईल ....

6.फर्म का पेन न0. :...

7.निविदा प्रपत्र शुल्क जमा :रसीद न0 ....दिनाक ....

8.धरोहर राशि का विवरणःराशि रु0–.. :

डी.डी. न0.................................दिनाक ....

	भोजन व्यवस्था	राशि रू. (चार्ज) प्रति व्यक्ति प्रतिदिन	
		भ्रमण में	जिले में प्रशिक्षण हेतु
भोजन व्यवस्थाः– (प्रशिक्षार्थियों को बिठाकर भरपेट भोजन कराना)			
चाय	फुल कप चाय सुबह व दोपहर बाद		
नाश्ता	पौआ /आलुबडा/ कचोरी/समोसा (कोई एक)		
भोजन	चपाती, चावल, दाल, हरी सब्जी, सलाद, अचार (एक समय का भोजन)		
	योगः–		
जिले में स्टॉफ/अधिकारी प्रशिक्षण हेतु भरपेट भोजन व्यवस्था :–			
चाय	फुल कप चाय सुबह व दोपहर बाद		
नाश्ता	पौआ /आलुबडा/ कचोरी/समोसा (कोई एक)		
भोजन	चपाती, चावल, दाल, हरी सब्जी–2, सलाद,अचार,पापड , मिठाई ,रायता (एक समय का भोजन)		
	योगः–		
आत्मा परियोजना अन्तर्गत आयोजित किसान मेले में उपस्थिति मेलार्थियो को बैठाकर भोजन कराने की व्यवस्था :– अनुमानित संख्या – 3000 कृषक प्रस्तावित मेला स्थल :– जिला बॉसवाडा			
भोजन	**पुडी, दाल, हरी सब्जी, चावल, बूंदी,(मिठाई) एवं पापड** (भोजन व्यवस्था अन्तर्गत उपस्थित कृषको को बैठाकर भोजन कराने में प्रयुक्त होने वाली समस्त सामग्री मय केटरिंग ,जल इत्यादि समस्त व्यवस्था सहित दर प्रस्तुत करे)		

10. निविदा प्रपत्र के साथ सलंग्न दी गई शर्तो का पालन करने के लिए मै सहमत हूॅ । किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अन्तिम निर्णय कमेटी का मान्य होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

341-44
13/6/17

कार्यालय उप निदेशक कृषि(विस्तार)जि0प0,बॉसवाडा(राज0)

निविदा की शर्तें

कृषकों के प्रशैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम हेतु भोजन व्यवस्था वर्ष 2017–18

1. निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा।
2. निविदाएँ कार्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा लेकर जारी किये गये प्रारुप में ही भरी हुई स्वीकार की जावेगी।
3. निविदा के साथ निर्घारित धरोहर राशि रू. 10000/– का डी.डी. "**उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद बॉसवाडा** के नाम निविदा प्रपत्र के साथ सलंग्न करना होगा। बिना धरोहर राशि एवं निविदा शुल्क के निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. निविदा निर्धारित प्रपत्र में पेन से भरी जावें या टाईप किया हुआ हो । दरे अंको एवं शब्दों में भरी हुई होगी कटिंग पर निविदाता के हस्ताक्षर किये जावें।
5. निविदा के लिफाफे पर निविदा अंकित होना चाहिये तथा मध्य भाग पर उप निदेशक कृषि (वि) जिला परिषद बॉसवाडा का पता एवं नीचे बायी तरफ निविदादाता का पता अंकित होना चाहिए।
6. निविदादाता जो दरें भरे इसमें समस्त खर्चो मय माल व मजदूरी एवं समस्त प्रकार के कर आदि सम्मिलित कर प्रति व्यक्ति दर देवें ।

7 निविदा में उल्लेखित व्यक्तियों की संख्या कम या ज्यादा भी हो सकती है। पृथक से कार्यादेश दिया जावेगा।

8 प्रस्तावित भ्रमण अथवा प्रशिक्षण में कमी /बढोतरी या परिवर्तन किया जा सकता है।

9 निविदादाता अवयस्क नही होना चाहिए तथा जिस कार्य सप्लाई के लिये निविदा भर रहें है इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित समस्त औपचारिकताओं एवं नियमों का पालन निविदादाता को करना होगा।

10 किसी भी निविदा को स्वीकृत/ अस्वीकृत /निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा। निविदादाता की कोई भी निजी शर्ते स्वीकार नही की जावेगी।

11 निविदा दरें 31.03.2018 तक मान्य रहेगी। अनुमोदन होने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में दरों में परिवर्तन नहीं होगा।

12 निविदा प्रपत्र में उल्लेखित विवरण के अनुसार ही व्यवस्था करनी होगी। **निर्धारित व्यवस्था उत्तम गुणवत्ता की नही होने पर (फील्ड स्टॉफ से लिखित में प्राप्त शिकायत) भुगतान नही किया जावेगा तथा अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में अन्य व्यवस्था की जा कर कार्यक्रम संपादित किया जावेगा।** जिसकी अन्तर राशि संविदाधारी से वसूल की जावेगी एवं प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।

13 सप्लाई होने वाली खाद्य सामग्री प्रदूषित न हो अन्यथा खाने वालों के अस्वस्थ होने पर समस्त जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी।

14 भुगतान बजट की उपलब्धि पर आवश्यक कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात बैंक के माध्यम से किया जावेगा।

15 निवेदित फर्म को बॉसवाडा जिले में विभिन्न स्थानों (विभिन्न पंचायत समिति, गग्रम पंचायतों इत्यादि)पर आयोजित प्रशिक्षणों /कार्यकमो में भोजन व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी।

16 आयकर नियमानुसार काटा जावेंगा।

17 किसी भी विवाद की स्थिति में निर्णय एवं सेवायें संतोषप्रद नहीं होने पर अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार उप निदेशक कृषि(विस्तार) जिला परिषद बॉसवाडा को होगा।

18 निवेदित फर्म को फुड लाईसेन्स की छाया प्रति सलंग्न करनी होगी।

हस्ताक्षर निविदादाता | उप निदेशक कृषि(वि0) जि.प. बॉसवाडा